शहर कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 23 नवम्बर. मप्र कांग्रेस कमेटी ने ग्वालियर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की नई जिला कार्यकारिणी को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की स्वीकृति के बाद जारी पत्र में कार्यकारिणी की सूची अनुमोदित की गई। नई टीम को जिला स्तर पर संगठन को मजबूत करने और आपसी समन्वय के साथ सक्रियता से काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

नई कार्यकारिणी में सुरेंद्र यादव को जिला अध्यक्ष एवं इब्राहिम पठान को संगठन महासचिव के पद पर यथावत बनाए रखा गया है, जबकि कोषाध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान होंगे। उपाध्यक्ष पद पर 10 नेताओं को जगह मिली है। इनमें दलवीर बोहरे, राकेश अग्रवाल, ऊदल सिंह, मीनू परिहार, कृष्ण भदौरिया, रंजीत यादव, भरत भदौरिया, मनोज शास्त्री, भैयालाल भटनागर और विजय शर्मा शामिल हैं।

महासचिव पद पर 15

10 उपाध्यक्ष, 15 महासचिव एवं 20 सचिव बनाए गए, देवेंद्र बने कोषाध्यक्ष, देर रात जारी हुई सूची

पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इनमें विजय कुशवाहा, शरद यादव, महादेव अघोरिया, जयवीर सिंह, संतोष शर्मा, हितेन्द्र यादव, नवीन भदकारिया, अजीत गोस्वामी, पल्लव शर्मा, सुरेश तिवारी पिंकी, प्रतीक जैन, रामअवतार जाटव, लतीफ खान, संजय सिंह चौहान और कुलदीप सिंह कौरव शामिल हैं।

सचिव पद पर 20 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। भूपेन्द्र तोमर, अभिषेक पाल, अरविंद चौहान बाल्मिकी, अतुल जैन, दाऊ मुगल, दिनेश चौहान, बृजेश शुक्ला, विक्रम यादव, सुरेश प्रजापति, संजय फड़तरे, शिखा शर्मा, शेरा खान, मोहित डिसूजा, राजेश कुशवाहा, जसवंत शेजवार, रविन्द्र कुशवाहा, दीपक यादव, राजीव दीक्षित, करण चौहान और प्रदीप गुर्जर सचिव बनाए गए हैं।

प्रवक्ता के रूप में आशुतोष शर्मा और राजेश बाबू जाटव को नियुक्त किया गया है। सोशल मीडिया प्रभारी तरुण कुशवाहा होंगे, जबकि अश्विन अग्रैया को सोशल मीडिया प्रभारी के रूप में दूसरी जिम्मेदारी दी गई है।

प्रदेश कार्यालय से जारी पत्र में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति की सूचना देने और आपसी सहयोग से जिला संगठन की मजबूती के लिए सक्रियता से कार्य प्रारंभ करने को कहा गया है।

सिरौल हाईवे हादसे में मृतक के परिवार को 41 .47 लाख का मुआवजा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 23 नवम्बर। सिरौल हाईवे पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से हुई युवक की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने

कार चालक की लापरवाही से गई थी रवि की जान, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान के दिए आदेश

महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मृतक के परिवार को 41 लाख 47 हजार 665 रुपये का मुआवजा दिलाने का आदेश दिया है। अधिकरण के सदस्य आत्माराम टांक ने 23 नवंबर 2026 को पारित अधिनिर्णय में मुआवजा राशि पर दावा प्रस्तुत करने की तारीख से भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने के भी निर्देश दिए हैं।

प्रकरण के अनुसार, 12 मई 2024 को रवि अपनी पत्नी वर्षा और बेटे शिव के साथ मोटरसाइकिल से जौरासी जा रहे थे। सिरौल थाना क्षेत्र के अड़ूपुरा स्थित बायो फील पेट्रोल पंप के सामने पीछे से आई तेज रफ्तार कार (सीएच-01 सीबी-9481) ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल रवि की आईटीएम अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 100/24 दर्ज कर चालान पेश किया था।

सुनवाई के दौरान चालक, वाहन स्वामी और बीमा कंपनी ने दुर्घटना एवं लापरवाही को लेकर सवाल उठाए, लेकिन अधिकरण ने चश्मदीद गवाह, पुलिस दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर कार चालक की लापरवाही को जिम्मेदार माना। मुआवजे में पत्नी वर्षा को 40 प्रतिशत, दोनों नाबालिग बच्चों मायरा और शिव को 20-20 प्रतिशत तथा माता-पिता को 10-10 प्रतिशत हिस्सा देने का आदेश दिया गया है।

बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

नवभारत न्यूज



ग्वालियर, 23 नवम्बर। बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, ग्वालियर की 30वीं छमाही बैठक आज समिति अध्यक्ष एवं सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रमुख, ग्वालियर धर्मेन्द्र कुमार की अध्यक्षता में हुई। बैठक में नगर स्थित विभिन्न बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के

राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा के साथ विभिन्न बैंकों की ई-पत्रिकाओं एवं डिजिटल साहित्य का विमोचन

कार्यालय प्रमुखों तथा राजभाषा अधिकारियों ने सहभागिता की।

बैठक के दौरान विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा राजभाषा नीति एवं सरकारी दिशा-निर्देशों के प्रभावी अनुपालन के संबंध में सार्थक चर्चा की गई। इस अवसर पर हिंदी के प्रयोग को अधिकाधिक सहज, सरल एवं व्यावहारिक बनाने तथा कार्यालयीन कार्यों में तकनीक के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दिया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर की ई-पत्रिका का विमोचन किया गया। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक की ई-बुकलेट का भी विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन को सरल एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक ज्ञानवर्धक पीपीटी प्रस्तुति दी गई, जिसमें राजभाषा संबंधी कार्यों के व्यावहारिक एवं तकनीकी पहलुओं को रेखांकित किया गया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में धर्मेन्द्र कुमार ने सभी सहभागी कार्यालयों से राजभाषा हिंदी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सामूहिक प्रयास करने, दैनिक कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने तथा डिजिटल माध्यमों के माध्यम से राजभाषा को अधिक सुलभ एवं उपयोगी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजभाषा समावेशी एवं जनोन्मुखी बनाने का भी सशक्त माध्यम है।

घर में घुसकर पिता-पुत्र पर पेट्रोल डालकर लगाई आग

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 23 नवम्बर। माधवगंज थाना क्षेत्र में रविवार दोपहर प्रेम प्रसंग और पुरानी

पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग बना वजह, दोनों गंभीर रूप से झुलसे, आरोपी ने भी खाई सल्फास

रंजिश के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। एक युवक ने घर में घुसकर महिला के पति और ससुर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। वारदात के बाद आरोपी ने भी सल्फास की गोलियां खाकर जान देने की कोशिश की।

पुलिस के अनुसार, सिंधी कॉलोनी निवासी रजत और महिला करीब साढ़े तीन साल पहले लिंक हॉस्पिटल में साथ काम करते थे। इसी दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ीं, लेकिन बाद में विवाद हो गया। महिला के पति ने भी रजत को धमकाया था। इसके बाद करीब डेढ़ साल तक मामला शांत रहा। महिला के बेटे के अनुसार, दोपहर रजत शराब के नशे में पेट्रोल से भरी कांच की बोतल लेकर घर पहुंचा। पिता और दादा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने दोनों पर पेट्रोल डालकर लाइटर से आग लगा दी। इससे दोनों के हाथ, पैर और छाती झुलस गए। बाल भी जल गए।

वहीं अस्पताल में भर्ती रजत ने अलग दावा किया है। उसका कहना है कि महिला ने उसे बातचीत के लिए घर बुलाया था, जहां करीब छह लोगों ने उसके साथ मारपीट की। खल-बट्टे और बेलन से हमला करने पर उसके सिर और हाथ-पैर में चोटें आईं। पुलिस इस दावे की भी जांच कर रही है। सीएसपी किरण अहिरवार ने बताया कि रजत महिला के घर पहुंचा और जबरदस्ती बातचीत करने की कोशिश की। महिला के मना करने पर वह गुस्से में आ गया और गाड़ी में रखी पेट्रोल की बोतल लाकर वारदात को अंजाम दिया। कुछ दिन पहले भी दोनों पक्ष थाने पहुंचे थे, लेकिन बाहर ही आपसी राजीनामा होने से बिना शिकायत किए लौट गए थे। फिलहाल पुलिस घायलों के बयान दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। झुलसे दोनों लोगों का जयरोग्य अस्पताल की बर्न यूनिट में इलाज चल रहा है, जबकि आरोपी निजी अस्पताल में भर्ती है।

राष्ट्रीय समरसता समागम, 'न हिंदू पतितो भवेत' पर आज होगा विमर्श

ग्वालियर। प्रज्ञा प्रवाह मध्य भारत की ओर से 'न हिंदू पतितो भवेत' विषय पर राष्ट्रीय समरसता समागम का आयोजन सोमवार को होगा। कार्यक्रम सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जीवाजी विश्वविद्यालय के गालव सभागार में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. दिवाकर सिंह राजपूत मुख्य अतिथि रहेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सामाजिक समरसता गतिविधि के अखिल भारतीय सह-संयोजक रविंद्र किरकोले मुख्य वक्ता होंगे। समागम में गुरु रविदास भजन मंडली, गोहद की ओर से संत रविदास के भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। गुरुद्वारा साहिब, फूलबाग के ज्ञानी जतिंदर सिंह 'जाति जनम नह पूछिए सच घर लेहु बताइ' विषय पर गुरु नानक देव की वाणी में समरसता का संदेश देंगे।

कब्जा नोटिस

चूंकि, Asset Reconstruction Company (India) Limited के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने आर्सिल Arcil - Trust - 2026 - 015 ('आर्सिल') के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ('उक्त अधिनियम') के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ('उक्त नियम') के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें उधारकर्ता, गारंटरों और बंधककर्ताओं को राशि चुकाने के लिए कहा गया था, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है. उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के उक्त राशि को चुकाने में विफल रहने पर, एतद् द्वारा उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है और जो कुछ भी वहां है के आधार पर' उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में यहां नीचे वर्णित अचल संपत्ति का कब्जा ले लिया है.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री साहब सिंह रावत, श्री दिनेश रावत, श्रीमती वंदना रावत साहब सिंह एग्रीकल्चर एंड व्हीकल्स (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10694794)	2200 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली वह भूमि घर संख्या 26, खसरा संख्या 1354, यूआईएन संख्या 23, ग्राम दुबहतंका तहसील विनोर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश 475220। क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, कालीन क्षेत्र क्षेत्रफल: 2200.00, 1300.00	रुपये 500990.83/- (रु. पांच लाख नौ सौ नब्बे और पैसा तिरासी मात्र)	05-01-2026	20-11-2026

उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि आर्सिल का उक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जा है और सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) या कोई भी व्यक्ति, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, आर्सिल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा उक्त अचल संपत्ति का हस्तांतरण या सौदा / अलगाव नहीं करेगा और अचल संपत्ति के साथ किया गया कोई भी सौदा आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा, जो कि अनुबंधित दर पर भविष्य के ब्याज के साथ उपरोक्त उल्लिखित राशि और उसके साथ आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के लिए होगा. उधारकर्ता/गारंटरों/बंधककर्ताओं का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उपरोक्त अचल संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है.

स्थान: ग्वालियर दिनांक 24-11-2026 — हस्ता. अधिकृत अधिकारी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड सीआईएन क्रमांक-U65999MH2002PLC134884

पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वां माला, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पूर्व) मुंबई-400028, दूरभाष: +91 2266581300, वेबसाइट: www.arcil.co.in

अनुष्का शर्मा टी20 और वनडे दोनों फॉर्मेट की कप्तान



ग्वालियर 23 नवम्बर. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंग्लैंड ए महिला टीम के खिलाफ आगामी घरेलू मल्टी-फॉर्मेट सीरीज के लिए इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने ग्वालियर की युवा बल्लेबाज एवं स्टार ऑल राउंडर अनुष्का शर्मा पर बड़ा भरोसा जताते हुए उन्हें टी20 और वनडे (एकदिवसीय) दोनों फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया है।

साथ ही ऑलराउंडर मीनू मणि को दोनों सीमित ओवरों के फॉर्मेट में उपकप्तान बनाया गया है। वहीं विमेंस सीनियर टीम के साथ साउथ अफ्रीका दौरे के लिए अनुष्का की व्यस्तता के चलते इकलौते मल्टी-डे (चार दिवसीय) मुकाबले में टीम की कमान मीनू मणि संभालेंगी। इस सीरीज में श्रेयंका पाटिल, अमनजोत कौर, प्रिया पूनिया और उमा छेत्री जैसे कई अंतरराष्ट्रीय अनुभव वाले खिलाड़ी भी शामिल हैं।

15 साल से फरार पूर्व सरपंच दबोचा

ग्वालियर। गबन के मामले में 15 साल से फरार चल रहे स्थाई वारंटी पूर्व सरपंच को आरोन थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को तकनीकी सहायता से मिली सूचना के आधार पर भितरवार क्षेत्र से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार आरोपी रामरूप करन पुत्र सीताराम करन निवासी लावनपुरा, आरोन जिला ग्वालियर है। वह वर्तमान में भितरवार के वार्ड नंबर-6 में रह रहा था। उसके विरुद्ध वर्ष 2009 में आईपीसी की धारा 409 के तहत गबन का प्रकरण आरोन थाने में दर्ज है।

भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ी सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा

ग्वालियर, 23 नवम्बर। हनुमान चौराहा हजारा भवन में आयोजित संगीतमय श्रीमद्भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भागवताचार्य पूज्य पंडित घनश्याम शास्त्री ने अपनी मधुर वाणी से श्रीमद्भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को भक्ति, ज्ञान और धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। शास्त्री ने ने कथा के माध्यम से बताया कि श्रीमद्भागवत कथा केवल सुनने का विषय नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने और ईश्वर से जुड़ने का दिव्य माध्यम है। कथा के दौरान भजन-संकीर्तन और भक्तिमय प्रसंगों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कथा के दौरान शास्त्री ने द्वारा संचालित अस्पताल में निशुल्क भोजन सेवा के सेवा कार्यों की भी चर्चा हुई। शास्त्री ने का मानना है कि भूखे को भोजन कराना ही सबसे बड़ी सेवा है। इसी भावना के साथ श्री श्याम रसोई के माध्यम से जयारोग्य अस्पताल, ग्वालियर में जरूरतमंद मरीजों एवं उनके अटेंडरों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाता है। कथा में बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी भक्तगण उपस्थित रहे।

फर्जी वसीयत से मकान हड़पने का आरोप

ग्वालियर। पिता की फर्जी वसीयत तैयार कर उनके मकान का नामांतरण अपने नाम कराने के आरोप में महाराजपुरा थाना पुलिस ने बहन और बहनोई के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। घटना महाराजपुरा थाना क्षेत्र के सुखराम कॉलोनी आदित्यपुरम में वर्ष 2022 की है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर किरण नारिया और उनके पति विजय सिंह के खिलाफ धारा 420, 34 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुखराम कॉलोनी आदित्यपुरम निवासी संतोषी सिंह कन्नौजिया ने शिकायत में बताया कि उनके पिता हर नेपोलियन सिंह की 15 नवंबर 2022 को मृत्यु हो गई थी। पिता का मकान सुखराम कॉलोनी में उनके घर के सामने स्थित है। पिता की मौत के बाद उनकी बहन किरण नारिया और बहनोई विजय सिंह ने मकान पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया।

कब्जा नोटिस

चूंकि, Asset Reconstruction Company (India) Limited के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने आर्सिल Arcil - Trust - 2026 - 015 ('आर्सिल')/Arcil - Trust - 2026 - 010 ('आर्सिल') के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ('उक्त अधिनियम') के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ('उक्त नियम') के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें उधारकर्ता, गारंटरों और बंधककर्ताओं को राशि चुकाने के लिए कहा गया था, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है. उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) के उक्त राशि को चुकाने में विफल रहने पर, एतद् द्वारा उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लिखित तिथि पर 'जैसा है जहां है और जो कुछ भी वहां है के आधार पर' उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में यहां नीचे वर्णित अचल संपत्ति का कब्जा ले लिया है.

देनदारों / सहदेनदारों का नाम	सिक्योर्ड एसेट अचल संपत्ति विवरण	कुल बकाया....रु.	डिमांड नोटिस तिथि	कब्जा तिथि
श्री धर्मेंद्र सिंह पंडोरिया श्रीमती ज्योति जाटव प्रिंस हार्डवेयर फर्नीचर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10493229)	पटवारी हल्का नं. 56, वार्ड नं. 05 की वह संपत्ति, क्षेत्रफल 750 वर्ग फुट, ग्राम डबरा, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474006 में स्थित है. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र 750.00, 750.00	रुपये 495806.36/- (रु. चार लाख पिच्यानवे हजार आठ सौ छह और पैसा छत्तीस मात्र)	05-01-2026	19-11-2026
श्री रामचित्रा, श्री बाबूलाल श्रीमती उषा रामचित्रा एग्रीकल्चर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10707063)	पीएच संख्या 65, खसरा संख्या 553(एस) का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, क्षेत्रफल 2200 वर्ग फुट, माता बरैया, बनमोर, मुरैना, मध्य प्रदेश 476001. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: भूमि_क्षेत्रफल, कालीन_क्षेत्रफल. संपत्ति का क्षेत्रफल: 2200.00, 1200.00	रुपये 480259.48/- (रु. चार लाख अस्सी हजार दो सौ उनसठ और पैसा अड़तालीस मात्र)	02-01-2026	19-11-2026
श्री मुकेश सिंह, श्री हरिश्चंद्र, श्रीमती पूजा श्रीमती स्नेही, मुकेश ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर (प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10729893)	पीएच संख्या 74, खसरा संख्या 522(एस) का वह पूरा टुकड़ा, क्षेत्रफल 675 वर्ग फुट, ग्राम मदन बसई, बनमोर, मुरैना, मध्य प्रदेश 476444. क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्रफल: 675 वर्ग फुट	रुपये 278907.72/- (रु. दो लाख अड़हतर हजार नौ सौ सात और पैसा बहतर मात्र)	06-01-2026	19-11-2026

उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) को विशेष रूप से और आम जनता को एतद् द्वारा सावधान किया जाता है कि आर्सिल का उक्त अचल संपत्ति पर वैध कब्जा है और सरफेसी (SARFAESI) अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) या कोई भी व्यक्ति, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, आर्सिल की पूर्व लिखित सहमति के बिना, बिक्री, पट्टे या अन्यथा उक्त अचल संपत्ति का हस्तांतरण या सौदा / अलगाव नहीं करेगा और अचल संपत्ति के साथ किया गया कोई भी सौदा आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा, जो कि अनुबंधित दर पर भविष्य के ब्याज के साथ उपरोक्त उल्लिखित राशि और उसके साथ आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के लिए होगा. उधारकर्ता/गारंटरों/बंधककर्ताओं का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो उपरोक्त अचल संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है.

स्थान: ग्वालियर, दिनांक 24-11-2026 — हस्ता. अधिकृत अधिकारी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (ट्रस्टी के रूप में)

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड सीआईएन क्रमांक-U65999MH2002PLC134884

पंजीकृत कार्यालय: द रूबी, 10वां माला, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पूर्व) मुंबई-400028, दूरभाष: +91 2266581300, वेबसाइट: www.arcil.co.in

नाम परिवर्तन सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि मैं **मुकुल गर्ग** मेरी पुत्री **सानवी गर्ग** के पूर्व पासपोर्ट में नाम की स्पेलिंग **सानवी गर्ग SAANVI GARG** अंकित है किन्तु अब मैंने अपनी पुत्री के नाम की सही स्पेलिंग **सानवी गर्ग SAANNVIE GARG** रख लिया है। अतः अब मेरी पुत्री को भविष्य में **सानवी गर्ग SAANNVIE GARG** के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

नाम
मुकुल गर्ग (पुत्री सानवी गर्ग SAANNVIE GARG)
पिता श्री गोपाल दास गर्ग
निवासी- एम-9, डिफेनस कॉलोनी के सामने गाधी नगर, ग्वालियर, (म.प्र.)

CHANGE OF NAME & DATE OF BIRTH

I, BATI RAM, Rank – Havildar (Retired), Army No. 14364592L, of 113 FD Regt (Artillery), Original PPO No. S/027031/2007, SPARSH PPO No. 232200603277, resident of Village – Hilguwan, Post – Raipura, Tehsil – Ron, District – Bhind (M.P.) – 477335, hereby declare that my correct and full name is "BATIRAM BAGHEL", whereas my name is recorded as "BATI RAM" in my Army Service Records and PPO. Both names refer to one and the same person. Therefore, my name in all concerned Army Service Records and PPO should be corrected from "BATI RAM" to "BATIRAM BAGHEL". I further declare that my son PARAM PRAKASH SINGH correct date of birth is 19/02/2006, as recorded in his Birth Certificate and Aadhaar Card. However, his date of birth has been incorrectly recorded as 25/10/2003 in my Army Service Records. Therefore, his date of birth in the concerned Army Service Records should be corrected from 25/10/2003 to 19/02/2006.

This notice is published for the purpose of correction of the above-mentioned discrepancies in the concerned Army Service Records and for all other official purposes.

खेत से ट्रैक्टर निकालने के विवाद में फायरिंग

ग्वालियर, 23 नवम्बर। खेत से ट्रैक्टर निकालने को लेकर हुए विवाद ने रविवार शाम हिंसक रूप ले लिया। भितरवार थाना क्षेत्र के नून सिमरिया गांव में आधा दर्जन हमलावरों ने एक युवक के घर पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें एक गोली युवक के जबड़े में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पहले स्थानीय स्तर पर उपचार के लिए ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखकर उसे जयरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद गांव में तनाव और दहशत का माहौल है।

जानकारी के अनुसार, नून सिमरिया निवासी 40 वर्षीय कल्ला उर्फ भूपेन्द्र रावत पुत्र अलबेल सिंह किसान है। रविवार को उसका खेत से ट्रैक्टर निकालने को लेकर गांव के ही रामनिवास रावत से विवाद हो गया था। बताया गया है कि रामनिवास ने अपना ट्रैक्टर उसके खेत से निकाला था, जिसका कल्ला ने विरोध किया। इस बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। उस समय ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया था और दोनों पक्ष अपने-अपने घर चले गए थे। आरोप है कि शाम करीब सात बजे रामनिवास रावत, साहब सिंह रावत, परदेव, श्रीनिवास, सुखदेव और जग्गू कल्ला के घर पहुंचे।

नगर के समाचार पृष्ठ 11 पर भी

सर्व आदि गौड ब्राह्मण समाज का दीपावली मिलन मना



ग्वालियर। सर्व आदि गौड ब्राह्मण समाज, ग्वालियर द्वारा नई सड़क, लश्कर स्थित तेरापंथी धर्मशाला पर दीपावली परिवार मिलन एवं अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष आदि गौड ब्राह्मण समाज, ग्वालियर के पूर्व अध्यक्ष तथा ज्योतिषाचार्य पंडित गिर्राज शरण शर्मा शास्त्री तथा कार्यक्रम संयोजक पंडित दीपक अशोकानंद मिश्रा थे। ब्राह्मण समाज के विभिन्न उपवर्गों के अध्यक्ष के साक्ष्य में कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर समाज के पूर्व अध्यक्ष पं. महेश मिश्रा, पं. रमेश मिश्रा, डॉ सुशील शर्मा, श्रीमती रुक्मणी शर्मा, श्रीमती गायत्री शर्मा सहित समाज के सैकडों ब्रह्म बंधु परिवार सहित उपस्थित थे। सर्वप्रथम भगवान परशुराम के पूजन के उपरांत समाज द्वारा ब्राह्मणों के विभिन्न उपवर्गो से पधारे अध्यक्षों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया।

नाम परिवर्तन सूचना

सूचित किया जाता हैं कि मैं **श्रीकृष्णा सिंह सिकरवार** पुत्र **श्री धीर सिंह सिकरवार** यह कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरे नाम की स्पेलिंग **श्री श्री कृष्ण सिंह सिकरवार SRI KRISHAN SINGH SIKARWAR** अंकित है जबकि अब मैंने अपने नाम की स्पेलिंग **श्री कृष्ण सिंह सिकरवार SRI KRISHAN SINGH SIKARWAR** के स्थान पर **श्रीकृष्णा सिंह सिकरवार SHRI KRISHNA SINGH SIKARWAR** रख लिया है। अतः अब मुझे भविष्य में **श्रीकृष्णा सिंह सिकरवार SHRI KRISHNA SINGH SIKARWAR** के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाये।

प्रार्थी
नाम श्रीकृष्णा सिंह सिकरवार
पुत्र श्री धीर सिंह सिकरवार
निवासी एच 847, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना, (म.प्र.)

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना — भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 20 वार्ड क्रं. 51, भवन क्रं. 725/20/10 का भाग, स्थानः महावीर रेसीडेंसी श्रीकृष्ण कॉलोनी पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती श्याम बंसल / श्री भगवान बंसल, रोहित अग्रवाल / श्री लक्ष्मीनारायण, अरविन्द अग्रवाल / श्री तोताराम, पप्पू अग्रवाल / स्व. महावीर प्रसाद के नाम से नगर निगम में आई.डी.क्रं. 1004031600 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 840 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र क्रं. R-15092601553092 दिनांक 15.09.2026 के द्वारा प्राप्त किया गया है उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र सिंधी कॉलोनी क्षे.क्रं. 20 पर दिनांक 23.11.2026 को किया गया है जिसका आवेदन कार्य. क्रं. 74/2010/66253/66302/प्र.क्रं.*3/11 है उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त, नगर निगम ग्वालियर, सिटी सेन्टर में स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम/पता
श्रीमती अर्चना सरवानी / श्री विनोद सरवानी
पताः महावीर रेसीडेंसी श्रीकृष्ण कॉलोनी, वार्ड-51
विज्ञप्ति जारी दिनांकः 23.11.2026

नामांकन विज्ञप्ति / आम सूचना — भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है नगर निगम ग्वालियर के क्षेत्र अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षे. क्रं. 17 वार्ड क्रं. 38, भवन क्रं. ..., स्थानः कोटा लश्कर, जनकपुरी पर स्थित है जो कि श्री/श्रीमती दीपक शर्मा / श्री रमेशचन्द्र शर्मा के नाम से नगर निगम में आई.डी.क्रं. 9000445840 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्ट